भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **†6105**

दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए

छत्तीसगढ़ में परित्यक्त और गैर-परिचालित खदानें

†6105. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि के अनुसार छत्तीसगढ़ में खनिज-वार परित्यक्त और गैर-परिचालित खदानों की कुल संख्या कितनी है:
(ख) उक्त राज्य में ऐसी कितनी खदानें हैं जिनकी अंतिम खदान बंदी योजनाएं अभी भी अपूर्ण हैं और उनके सुधार हेतु कुल कितनी वित्तीय आश्वासन राशि एकत्र की गई है;
(ग) क्या वर्ष 2018 से छत्तीसगढ़ में परित्यक्त स्थलों पर कोई सुरक्षा खतरे, जैसे कि खुले गड्ढे या भूजल संदूषण दर्ज किए गए हैं और यदि हां, तो उनमें दर्ज की गई दुर्घटनाओं/मृत्यु की संख्या कितनी है; और
(घ) अगले पांच वर्षों में इन पुरानी विरासत खदानों के पुनर्वास हेतु बनाई गई समयबद्ध योजना का विवरण क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दूबे)

(क) से (घ): छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 57 परित्यक्त और गैर-कार्यशील खानें (14 बॉक्साइट, 03 लौह अयस्क, 08 टिन अयस्क और 32 चूना पत्थर) हैं और वर्ष 2018 से परित्यक्त प्रमुख खनिज खानों से भूजल संदूषण की कोई सूचना नहीं मिली है।

खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों के अनुसार अंतिम खानबंदी योजना (एफएमसीपी) के कार्यान्वयन से संबंधित मामले, वित्तीय आश्वासन का उपयोग और गैर-कार्यशील/लीगेसी खानों के पुनर्वास सहित सुरक्षा और पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करना संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता हैं।
